राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक–लेखा/स्टोर एवं स्टॉक./2022–23/ दिनांक :

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
जोन--जोधपुर/जयपुर

विषयः–वित्तीय वर्ष 2022–23 के समेकित स्टोर एवं स्टॉक लेखे भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः–निदेशालय के पत्रांक लेखा/स्टोर एवं स्टॉक./2023/2358 दिनांक 24.04.23 एवं 3722–23 दिनांक 21.06.2023 एवं 4428–32 दिनांक 19.07.2023,4711 दिनांक 03.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियम भाग 2 के नियम 15 ए के अनुसार विभागाध्यक्ष को अपने विभाग के भंडार सामग्री एवम् स्टॉक के लेख प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तक महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करने होते है। जिसकी पालना में समेकित स्टोर एवम स्टॉक लेखों की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने हेतु आपको निदेशालय के पत्रांक लेखा/स्टोर एवम स्टॉक/2023/2358 दिनांक 24/042023 द्वारा एवम् स्मरण पत्र क्रमांक 3722–23 दिनांक 21.06.2023, 4428–32 दिनांक 19.07.2023, 4711 दिनांक 03.08.2023 द्वारा निर्देशित किया गया। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है की आपके द्वारा लगातार निर्देशो के बावजूद अपेक्षित सूचना प्रेषित न कर निर्देशों की अवहेलना की जा रही है जो अत्यन्त खेद जनक है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022--23 के आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ सभी संस्थाओं के समेकित स्टोर एवं स्टॉक लेखे निम्नलिखित प्रपत्र में (आईटम वाईज) तैयार कर एवं "समेकित लेखों पर लेखाकर्मी द्वारा जांच किया एवं सही पाया गया एवं सभी संस्थाओं के लेखो को सम्मिलित कर लिया गया है," का प्रमाण--पत्र अंकित करवाते हुए तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि वांछित लेखों को प्रधान महालेखाकार कार्यालय में अविलम्ब भिजवाया जा सके।

Sr. No.	Name of Items	Opening Balance	Receipts Year	Total (3+4)	Utilisation/Sold Off	Written Off	Total (6+7)	Closing Balance (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

निर्देशों की अवहेलना पर प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया के ध्यान में लाया जायेगा जिसके लिये आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

कृपया इस पत्र को उच्च प्राथमिकता देवें।

-sd-
निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–लेखा/स्टोर एंव स्टॉक/2022–23/5222 दिनांक : 05/9/23

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. भण्डार प्रभारी, स्थायी भण्डार,सी.डी.स्टोर, स्टेशनरी स्टोर मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्टोर एवं स्टॉक लेखें उक्त वर्णित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02.09.2023 तक आवश्यक रूप से भिजवायें, निर्देशो की निरन्तर अवहेलना पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभाग जयपुर/जोधपुर
3. प्रभारी सर्वर रूम, कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर